24.4.18

सं. ई 11311/1/2017-हिंदी

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

हिंदी अनुभाग

दिनांक: 24 अप्रैल, 2018

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना ।

कृपया उपर्युक्त विषय पर श्री दीनानाथ बत्रा, अध्यक्ष, शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास, सरस्वती बाल मंदिर, जी ब्लाक, नारायणा विहार, नई दिल्ली-110028 से प्राप्त दिनांक 27 फरवरी, 2018 के आरटीआई आवेदन पत्र (मंत्रालय के हिंदी अनुभाग में 13 अप्रैल, 2018 को प्राप्त) का अवलोकन करें जिसके द्वारा आवेदनकर्ता ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा इसके उपक्रमों के संबंध में आर टी आई अधिनियम के प्रावधानों के तहत हिंदी मौलिक पुस्तक लेखन एवं पाण्डुलिपि के प्रकाशन के संबंध में चल रही योजना के विषय में जानकारी मांगी हैं।

आपसे अनुरोध है कि इस विषय पर अपने-अपने उपक्रमों से संबंधित अपेक्षित जानकारी सीधे आवेदनकर्ता को उपलब्ध कराएं तथा भेजे गए उत्तर की एक प्रति अधोहस्ताक्षरी को भी प्रेषित करें।

संलग्नक: यथोपरि

24/4/2018

(ऊषा बिंजोला)

संयुक्त निदेशक (राजभाषा)

सेवा में,

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सभी उपक्रमों के प्रमुख ।

SHIKSHA SANSKRITI UTHAN NYAS
अध्यक्ष : दीनानाथ बत्रा

शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास
सचिव : अतुल कोठारी

दिनांक 27/2/2018

प्रति

श्रीमान / मंत्री आ. धर्मेन्द्र प्रधान जी

केन्द्रीय पेट्रोलियम मंत्री भारत सरकार,

19, तीन मूर्ती मार्ग, नई दिल्ली- 110011

विषय :- सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के अंतर्गत प्रमाणित प्रति (फाइव मिनिट, दस्तावेज, जांच)की जानकारी आदि प्रदाय बावद

संदर्भ- आपके मंत्रालय को लिखा मेरा पत्र क्र. 37/201718 दि. 12-12-17

महोदय,

मैंने आप से संदर्भित पत्रानुसार(संलग्न) जानकारी मांगी थी जिसमें आपके स्तर से जानकारी बिन्दुवार अपेक्षित थी। यह जानकारी चूंकि राष्ट्रभाषा हिन्दी से संबद्ध है अत: यह बहुत ही आवश्यक है। आप से अपेक्षा है कि इस संलग्न पत्र के प्रत्येक बिन्दु की सटीक जानकारी बिन्दुवार सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही (Action taken report) के रूप में देने की कृपा करें। इसके साथ ही निम्नबिन्दुओं पर भी जानकारी देने की कृपा करें।

1- आप के मंत्रालय या विभाग में हिन्दी पुस्तक लेखन एवं पाण्डुलिपि के प्रकाशन हेतु सहयोग देने की क्या योजना है। इसका विवरण प्रस्तुत करने की कृपा करें।

2- वर्तमान में हिन्दी में प्रकाशित पुस्तक के पुरस्कार की जो भी योजना है उसका स्पष्ट विवरण देने की कृपा करें। कृपया मात्र यह लिखकर दायित्व से दूर न हो कि यह जानकारी आपकी किसी बेवसाइट या पुस्तक में लिखी है। यदि अभी कोई हिन्दी पुस्तक लेखन बावद पुरस्कार का विज्ञापन हुआ है तो उसमें पुस्तक भेजने हेतु निर्धारित प्रोफार्मा एवं विज्ञापन की एक प्रति देने की कृपा करें। यदि अभी विज्ञापन नही हुआ है तो जैसे ही विज्ञापन हो इसका विवरण यथा प्रोफार्मा मुझे मिले ऐसी व्यवस्था हेतु संबद्ध शाखा से उस समय मिल जाये ऐसी व्यवस्था करें। आपके मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले संस्थानों, उपक्रमों, प्रकल्पों आदि में हिन्दी पुस्तक पुरस्कार की जो योजना है उस प्रत्येक योजना की जानकारी देवें। संबन्धित दस्तावेजों के अवलोकन की व्यवस्था करें।

उपयुक्त जानकारी प्राप्त करने के लिये अपेक्षानुसार 10 /- रूपये का पोस्टल आर्डर नम्बर 43F 141097 दिनांक 24/1/2018 साथ में संलग्न है। निवेदन है कि कोई भी जानकारी आपके पास न हो तो सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत बने नियम के अनुसार इसे अन्य केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी को भेज दें।

आवेदन

(दीनानाथ बत्रा)

Recd. 13/4/2018 on mail

RTI 7M15

सरस्वती बाल मन्दिर, जी ब्लाक, नारायणा विहार, नई दिल्ली - 110 028
Saraswati Bal Mandir, G Block, Narayana Vihar, New Delhi
E-mail : atulssun@gmail.com Website: www.bhartiyashiksha.com
दूरभाष : 011- 25898023, 65794966

शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास

सरस्वती बाल मन्दिर, जी ब्लाक, नारायणा विहार, नई दिल्ली–110028

☎ :-- 011–65794966, 9868100445

website: www., bharatiyashikasha.com, Email:atulassun@gmail.com

पत्रांक :–37 / 2017–18 दिनांक : 12.12.2017

प्रति

माननीय धर्मेन्द्र प्रधान जी
केन्द्रीय पेट्रोलियम मंत्री
भारत सरकार
19 तीन मूर्ति मार्ग नई दिल्ली 110011

विषय :-हिन्दी की मौलिक पुस्तकों पर लेखकों को मंत्रालय, विभाग की पुरस्कार योजना।

महोदय,

स्वतंत्रता के उपरान्त गणतन्त्र भारत के लिये संविधान बना जिसमें हिन्दी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। इसके उपरांत समय-समय पर हिन्दी भाषा के उत्थान के लिये समितियां एवं आयोग बने। इन सबके फलस्वरूप भारत सरकार ने निर्णय लिया था कि हिन्दी के उत्थान के लिये विभिन्न कार्यक्रमों के साथ प्रत्येक भारत सरकार के मंत्रालय में कम से कम एक हिन्दी पुस्तक लेखक को उनकी मूल पुस्तक या अनुदित पुस्तक या अन्य तरह से श्रजित प्रकाशित (पुस्तक) को प्रोत्साहित करने हेतु पुरस्कृत किया जाएगा। इनकी समय-समय पर समीक्षा भी होती रही। इस बावद आपसे निम्नांकित जानकारी अपेक्षित है:-

१. क्या आपके मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले विभाग, परिषद्, स्वशैक्षिक संस्थाए, आयोग या अन्य कही हिन्दी की पुस्तक पर लेखक को पुरस्कार देने की योजना है, यदि हां तो कहां-कहां उसका विवरण देने की कृपा करें।
२. प्रत्येक पुस्तक योजना के वर्तमान में प्रचलित प्रोफार्मा एवं नियमावली के साथ ही पिछले वर्ष का प्रोफार्मा एवं नियमावली का विवरण देवें।
३. यदि वर्तमान में हिन्दी पुस्तक लेखक को पुरस्कार देने का विज्ञापन हुआ है तो उसकी एक प्रति तथा आवेदन प्रारूप की एक-एक प्रति देने की कृपा करें।
४. यदि अभी तक हिन्दी पुस्तक लेखक के लिये आपके यहां कोई पुरस्कार प्रचलित नहीं है तो क्या भविष्य में ऐसा करने का विचार हो रहा है यदि हां तो यह योजना कब तक मूर्तवत होगी। यदि नहीं तो उसके क्या कारण है।
५. क्या आपके विभाग के द्वारा हिन्दी पुस्तक लेखक को दिये जाने वाले पुरस्कार के प्रोफार्मा, नियमावली में यह प्रावधान किया गया है कि लेखक को यदि वह सरकारी नौकरी में है या रहा है तो आपकी पुस्तक पुरस्कार योजना में डालने हेतु अपने विभाग से अनुमति लेवें या आवेदन अग्रेषित करायें।
६. क्या आप समझते है कि इस 'अनुमति' प्रावधन होने के कारण आपके विभाग का व्यक्ति आपके विभाग के भ्रष्टाचार पर पुस्तक लिखता है तो उसकी पुस्तक में पुरस्कार देने के लिये आपका विभाग पुस्तक को अग्रेषित नहीं करेगा या अनापत्तित (नो ओबजेक्शन) प्रमाण नहीं देगा।

जारी पेज..............२

- ऐसे प्रकरण मेरे समक्ष आये है कि ऐसी पुस्तकों का पुरस्कार योजना संभावित करने हेतु अपने विभाग से जहां के बारे उसने लिखा है, वहां से अनुमति लेनी पड़ेगी।
- क्या यह प्रक्रिया संवैधानिक है क्योंकि भारत सरकार के राजभाषा के तहत जारी आदेश में ऐसा कही कोई जिक्र नहीं है, यदि आपके ऐसा ज्ञात हो तो उसे बताये। अन्यथा यदि आपके यहां ऐसी प्रक्रिया लागू है तो उसे खत्म करने का क्या प्रयास हैं, बताये।
-कृपया ऐसी विधि अपनाये जिससे देश में फैला भ्रष्टाचार दूर हो और उससे सम्बन्धित पुस्तके पुरस्कार हेतु दी जाए।

७. क्या आपके मंत्रालय में यह पुस्तक पुरस्कार योजना गोपनीय रखी गई है और इसे सूचना अधिकार अधिनियम-२००५ के तहत जानकारी नहीं दी जा सकती है। यदि ऐसी व्यवस्था है तो बताया जाए।

८. आपके मंत्रालय के अंतर्गत या उसके अधीन उपक्रमों में यदि इस वर्ष या २०१८ में यदि हिन्दी पुस्तक पुरस्कार की योजना का कोई विज्ञापन हो तो उसकी नियमावली, प्रोफार्मा आदि जिससे पुस्तक को पुरस्कार में है भेजा जाय।

९. संविधान के अनुच्छेद ३४५ हिन्दी की प्रोत्साहित करने का प्रावधान है और अनुच्छेद ३४३ देश (संघ) की राजभाषा हिन्दी है। इसके तथा अनुच्छेद ३५१ के तहत ऐसे प्रचार-प्रसार की अपेक्षा की गई है। अनुच्छेद ३४६,१४, २१ क, ४५, ३४५, ३५० आदि भी हिन्दी के प्रोत्साहन को रेखांकित करते है।

अतः आपसे अपेक्षा है कि हिन्दी पुस्तक पुरस्कार योजना अपने मंत्रालय में लागू की जाय साथ ही उपरोक्त सभी बिन्दुओं का उत्तर तथा दस्तावेज मुझे दी जाये। जिससे मैं पुस्तक पुरस्कार में भेजने के साथ अन्य कार्रवाई कर सकूं।

सादर

मातृभूमि की सेवा में अकिंचन

(दीनानाथ बत्रा)
अध्यक्ष

Rcd 8270
17/3/2018

भारत सरकार, पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
8वां तल, टॉवर–ए, ओ.आई.डी.बी. भवन,
प्लॉट नं. 2, सैक्टर–73, नोएडा–201301

Government of India, Ministry of Petroleum & Natural Gas
8th Floor, Tower-A, OIDB Bhawan
Plot No. 2, Sector-73, NOIDA - 201301
दूरभाष/Tel. : +91-120-2593800
फैक्स/Fax : +91-120-2593802
वेबसाइट/Website : www.oisd.gov.in

तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय
OIL INDUSTRY SAFETY DIRECTORATE

ISO 9001:2015 certified

संख्या, ओआईएसडी / आरटीआई / ०९ दिनांक: २२.०५.२०१८

सेवा मे,

श्री दीना नाथ बत्रा,
अध्यक्ष,
शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास,
सरस्वती बाल मंदिर, जी ब्लाक
नारायणा विहार
नई दिल्ली- 110028.

महोदय,

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत मांगी गई सूचना

यह आपके आरटीआई आवेदन नंबर शून्य,दिनांक 27.02.2018 के संदर्भ में है, जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा अग्रेषित किया गया था। आपका आरटीआई आवेदन , हमारे कार्यालय में 24.04.2018 को प्राप्त हुआ था। जैसा आपके द्वारा वांछित है, हम क्रमानुसार , उपलब्ध रूप में ,मांग की गई जानकारी के उत्तर को नीचे प्रस्तुत कर रहे हैं:

१. क्या आपके मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले विभाग, परिषद्, स्वशैक्षिक संस्थाए, आयोग या अन्य कही हिन्दी की पुस्तक पर लेखक को पुरस्कार देने की योजना है, यदि हां तो कहां-कहां उसका विवरण देने की कृपा करें।

   जवाब:
   तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय (OISD) अभिलेखानुसार, तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय में हिन्दी की पुस्तक पर लेखक को पुरस्कार देने की कोई योजना नहीं है।

२. प्रत्येक पुस्तक योजना के वर्तमान में प्रचलित प्रोफार्मा एवं नियमावली के साथ ही पिछले वर्ष का प्रोफार्मा एवं नियमावली का विवरण देवें।

   जवाब:
   प्रश्न लागू नहीं होता है।

३. यदि वर्तमान में हिन्दी पुस्तक लेखक को पुरस्कार देने का विज्ञापन हुआ है तो उसकी एक प्रति तथा आवेदन प्रारूप की एक-एक प्रति देने की कृपा करें।

   जवाब:
   प्रश्न लागू नहीं होता है।

४. यदि अभी तक हिन्दी पुस्तक लेखक के लिये आपके यहां कोई पुरस्कार प्रचलित नहीं है तो क्या भविष्य में ऐसा करने का विचार हो रहा है यदि हां तो यह योजना कब तक मूर्तवत होगी यदि नहीं तो उसके क्या कारण है ।

जवाब:
मांगी गई जानकारी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत नहीं आती है।

५. क्या आपके विभाग के द्वारा हिन्दी पुस्तक लेखक को दिये जाने वाले पुरस्कार के प्रोफोर्मा, नियमावली में यह प्रावधान किया गया है की लेखक को यदि वह सरकारी नौकरी में है या रहा है तो आपकी पुस्तक पुरस्कार योजना में डालने हेतु अपने विभाग से अनुमति लेवें या आवेदन अग्रेषित करायें ।

जवाब:
प्रश्न लागू नहीं होता है।

६. क्या आप समझते है की इस 'अनुमति' प्रावधन होने के कारण आपके विभाग का व्यक्ति आपके विभाग के भ्रष्टाचार पर पुस्तक लिखता है तो उसकी पुस्तक में पुरस्कार देने के लिए आपका विभाग पुस्तक को अग्रेषित नहीं करेगा या अनापत्तित (नो ओबजेक्शन) प्रमाण नहीं देगा ।
- ऐसे प्रकरण मेरे समक्ष आये है की ऐसी पुस्तकों का पुरस्कार योजना संभावित करने हेतु अपने विभाग से जहां के बारे उसने लिखा है, वहां से अनुमति लेनी पड़ेगी ।
-क्या यह प्रक्रिया संवैधानिक है क्योकी भारत सरकार के राजभाषा के तहत जारी आदेश में ऐसा कही कोई जिक्र नहीं है, यदि आपको ऐसा ज्ञात हो तो उसे बताये । अन्यथा यदि आपके यहां ऐसी प्रक्रिया लागू है तो उसे खत्म करने का क्या प्रयास है , बताये ।
-कृपया ऐसी विधि अपनाये जिससे देश में फैला भ्रष्टाचार दूर हो और उससे संबन्धित पुस्तके पुरस्कार हेतु दी जाए ।

जवाब:
प्रश्न लागू नहीं होता है।

७. क्या आपके मंत्रालय में यह पुस्तक पुरस्कार योजना गोपनीय रखी गई है और इसे सूचना अधिकार अधिनियम -२००५ के तहत जानकारी नहीं दी जा सकती है । यदि ऐसी व्यवस्था है तो बताया जाए ।

जवाब:
प्रश्न लागू नहीं होता है।

८. आपके मंत्रालय के अंतर्गत या उसके अधीन उपक्रमों में यदि इस वर्ष या २०१८ में यदि हिन्दी पुस्तक पुरस्कार की योजना का कोई विज्ञापन हो तो उसकी नियमावली, प्रोफार्मा आदि जिससे पुस्तक को पुरस्कार में है भेजा जाय ।

जवाब:
प्रश्न लागू नहीं होता है।

९. संविधान के अनुच्छेद ३४५ हिन्दी की प्रोत्साहित करने का प्रावधान है और अनुच्छेद ३४३ देश (संघ) की राजभाषा हिन्दी है । इसके तथा अनुच्छेद ३५१ के तहत ऐसे प्रचार-प्रसार की अपेक्षा की गई है। अनुच्छेद ३४६, १४,२१ क,४५,३४५,३५० आदि भी हिन्दी के प्रोत्साहन को रेखांकित करते है ।

जवाब:
कोई प्रश्न नहीं पूछा गया है। अतः जवाब देने में असमर्थ हैं ।

१०. आप के मंत्रालय या विभाग में हिन्दी पुस्तक लेखन एवं पाडुलिपि के प्रकाशन हेतु सहयोग देने की क्या योजना है । इसका विवरण प्रस्तुत करने की कृपा करें ।
जवाब:
प्रश्न लागू नहीं होता है।

११. वर्तमान में हिन्दी में प्रकाशित पुस्तक के पुरस्कार की जो भी योजना है उसका स्पष्ट विवरण देने की कृपा करे । कृपया मात्र यह लिखकर दायित्व से दूर न हो की यह जानकारी आपकी किसी बेवसाइट या पुस्तक में लिखी है । यदि अभी कोई हिन्दी पुस्तक लेखन वावद पुरस्कार का विज्ञापन हुआ है तो उसमें पुस्तक भेजने हेतु निर्धारित प्रोफार्मा एवं विज्ञापन की एक प्रति देने की कृपा करें । यदि अभी विज्ञापन नहीं हुआ है तो जैसे ही विज्ञापन हो इसका विवरण यथा प्रोफार्मा मुझे मिले ऐसी व्यवस्था हेतु संबद्ध शाखा से उस समय मिल जाये ऐसी व्यवस्था करें। आपके मंत्रालय के अंतगर्त आने वाले संस्थानों, उपक्रमों, प्रकल्पो आदि में हिन्दी पुस्तक पुरस्कार की जो योजना है उस प्रत्येक योजना की जानकारी देवें। संबन्धित दस्तावेजो के अवलोकन की व्यवस्था करें ।

जवाब:

इस सवाल का जवाब , पूर्वकथित जवाबों में निहित है।

यदि आप केंद्रीय सार्वजनिक सूचना अधिकारी के निर्णय से असंतुष्ट हैं, तो आप अपीलीय प्राधिकारी को,जिनका पता नीचे दिया गया है, इस उत्तर की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर पुनर्विचार की अपील कर सकते हैं :

श्री लखन लाल साहू
निदेशक (विपणन, पी.ओ.एल.)
तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय
8 वीं मंजिल, ओआईडीबी भवन
प्लॉट नं .2
सेक्टर -73
नोएडा 201301

भवदीय,
सौरभ कुमार आर्य 22/05/18
(सौरभ कुमार आर्य)
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी-ओआईएसडी